



2026:AHC:55777

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 1509/2026

सुनील अग्रहरि

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम, संत कबीर नगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.01.2026 को रद्द करने हेतु दायर की गई है। यह अपील मुकदमा अपराध संख्या 741/2022 से संबंधित है, जो भा.दं.सं. की धारा 147, 323, 504, 506, 452, 302 तथा एस.सी./एस.टी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) के अंतर्गत, थाना धनघटा, जिला संत कबीर नगर में दर्ज किया गया था।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्त रंजीत को विवेचना अधिकारी द्वारा निर्दोष पाया गया था तथा अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) केवल चार अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिन्हें जमानत पर रिहा किया जा चुका है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता को तलब किया गया है। अपीलकर्ता का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 15.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी आश्वासन दिया गया कि अपीलकर्ता विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी निवेदन किया गया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्व भी नहीं हैं। आगे यह भी निवेदन किया गया कि सह-अभियुक्त रंजीत को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8976/2026 में दिनांक 26.02.2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि कुल 35 अभियोजन साक्षियों में से अभी तक केवल 2 साक्षियों का ही परीक्षण हुआ है तथा निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया, तथापि उपर्युक्त तथ्यों का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा दण्ड की संभावित गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत योग्य है।

7. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 16.01.2026 को निरस्त किया जाता है।

8. अतः अपीलकर्ता सुनील अग्रहरि, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त, को एक निजी मुचलका एवं समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा—

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का उद्घाटन करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) अपीलकर्ता उन तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, साक्ष्य हेतु अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (viii) अपीलकर्ता धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना के निर्णय तक सीमित हैं तथा प्रकरण के गुण-दोष पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

18 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह